UPMT010015902026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा</u>

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–747/2026

रवि कुमार बनाम उ.प्र.राज्य

<u>आदेश</u>

1. मुकदमा अपराध संख्या– 40/2026 धारा–309(6) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), थाना–फरह, जिला– मथुरा के अभियुक्त **रवि कुमार** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया राजेश्वरी पत्नी मोहन श्याम निवासी ग्राम बेरी थाना फरह जनपद मथुरा की स्थाई निवासी है। दिनांक 15.02.2026 को समय करीब 4:30 बजे शाम को प्रार्थिया अपने देवर लक्ष्मण के साथ गांव से फरह आ रही थी। जब प्रार्थिया फरह ब्लाक के पास पहुँची तो पीछे से एक नीले रंग की अपाचे मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया के कान की सोने की झुमकी पीछे से आकर छीन ली गयी, जिससे प्रार्थिया का कान फट गया। इसी छीना–झपटी में उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया, जिससे प्रार्थिया के सिर व कंधे में चोट आयी है। प्रार्थिया तथा उसके देवर द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़कर आये, जिस पर दोनों मोटर साइकिल सवार आगरा की तरफ भाग गये। प्रार्थिया तथा उसके देवर की चोरों से हुई खींचातानी में झुमकी नीचे गिर गयी थी, जो बाद में तलाश करने पर प्रार्थिया को मिल गयी। अतः प्रार्थिया की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।
3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है महज तंग व परेशान करने की गरज से झूंठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को गांव की पार्टीबन्दी के तहत झूंठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन का कथानक नितांत झूठा असत्य व भ्रामक है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना से मेल नहीं खाती है। प्रार्थी/अभियुक्त से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में लगाया गया है तथा न ही खारिज हुआ है तथा न ही माननीय उच्च न्यायालय में लगाया गया है तथा न ही खारिज हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16–02–2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की झुमकी छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें वादिनी को चोटें भी आयी हैं।
7. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में

आया है। घटना में लूटी गई वस्तु वादिनी को पुनः प्राप्त हो गई थी। अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त की शिनाख्त मुकदमा वादिनी से नहीं कराई गयी है। अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **रवि कुमार** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

8. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.03.2026

(अरविन्द कुमार यादव–II)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा
ID– UP 6351